



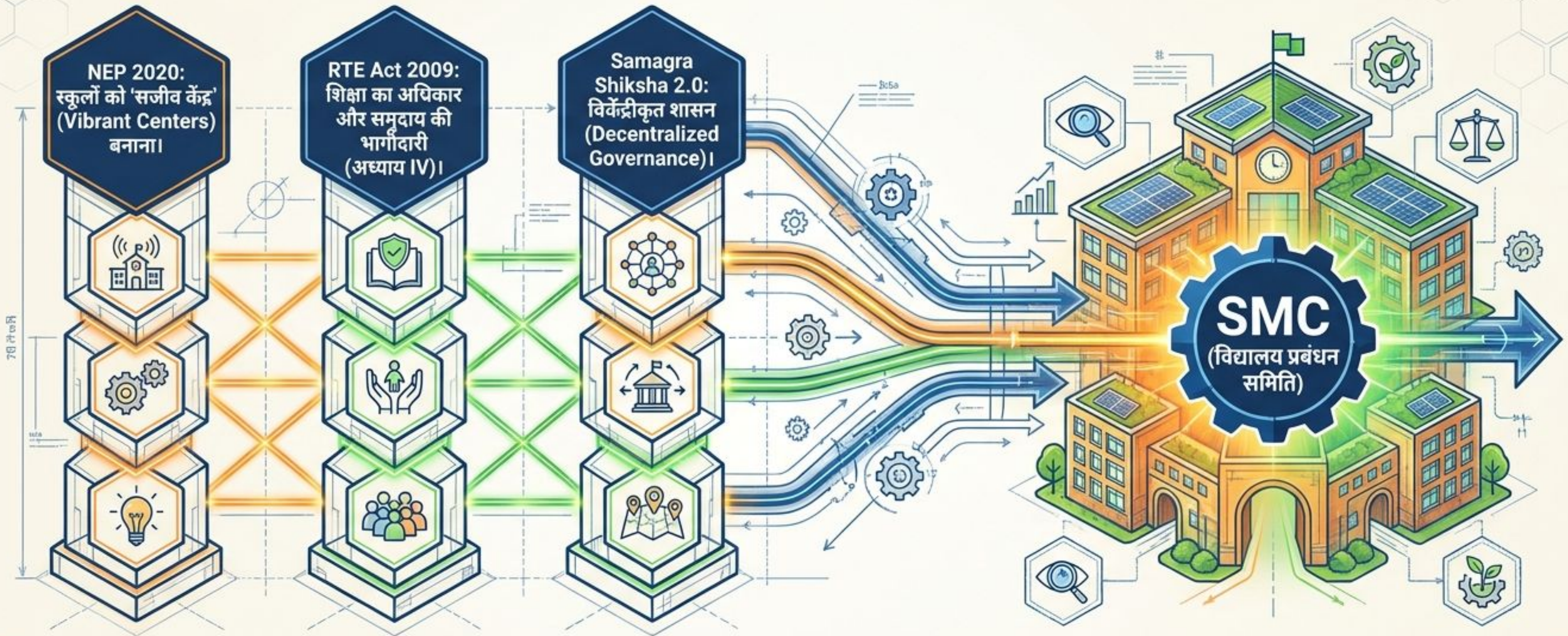
विद्यालय प्रबंधन समितियां (SMC) के लिए दिशा-निर्देश

एक सशक्ता, जुड़ा हुआ और सामुदायिक शिक्षा तंत्र
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय - 2026)



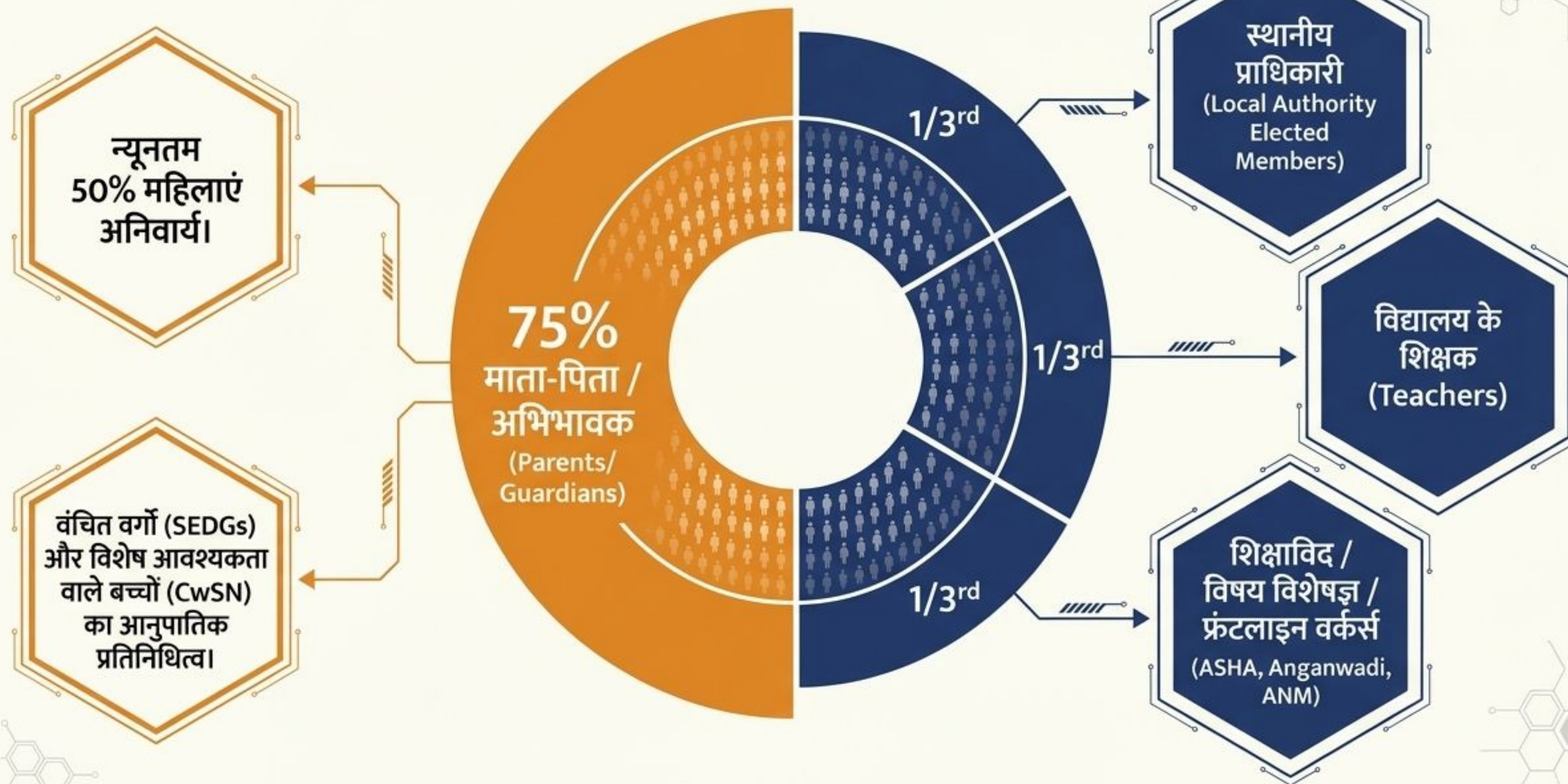
शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज का साझा दायित्व है।

सामुदायिक-नेतृत्व शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र: आधारभूत खाका



विद्यालय अब केवल सरकारी ईमारत नहीं, बल्कि समुदाय द्वारा संचालित 'सजीव केंद्र' हैं।
SMC पारदर्शी शासन, जवाबदेही और सतत शैक्षिक विकास का जमीनी साधन है।

SMC संरचना: 75/25 का नियम



SMC चुनाव एवं गठन प्रक्रिया



नेतृत्व एवं उप-समितियां

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
(चुने गए अभिभावकों में से)

सदस्य-सचिव (Member-Secretary):
विद्यालय प्रमुख / प्रधानाध्यापक
(संचालन और रिकॉर्ड की जिम्मेदारी)



विद्यालय भवन समिति
(School Building Committee)

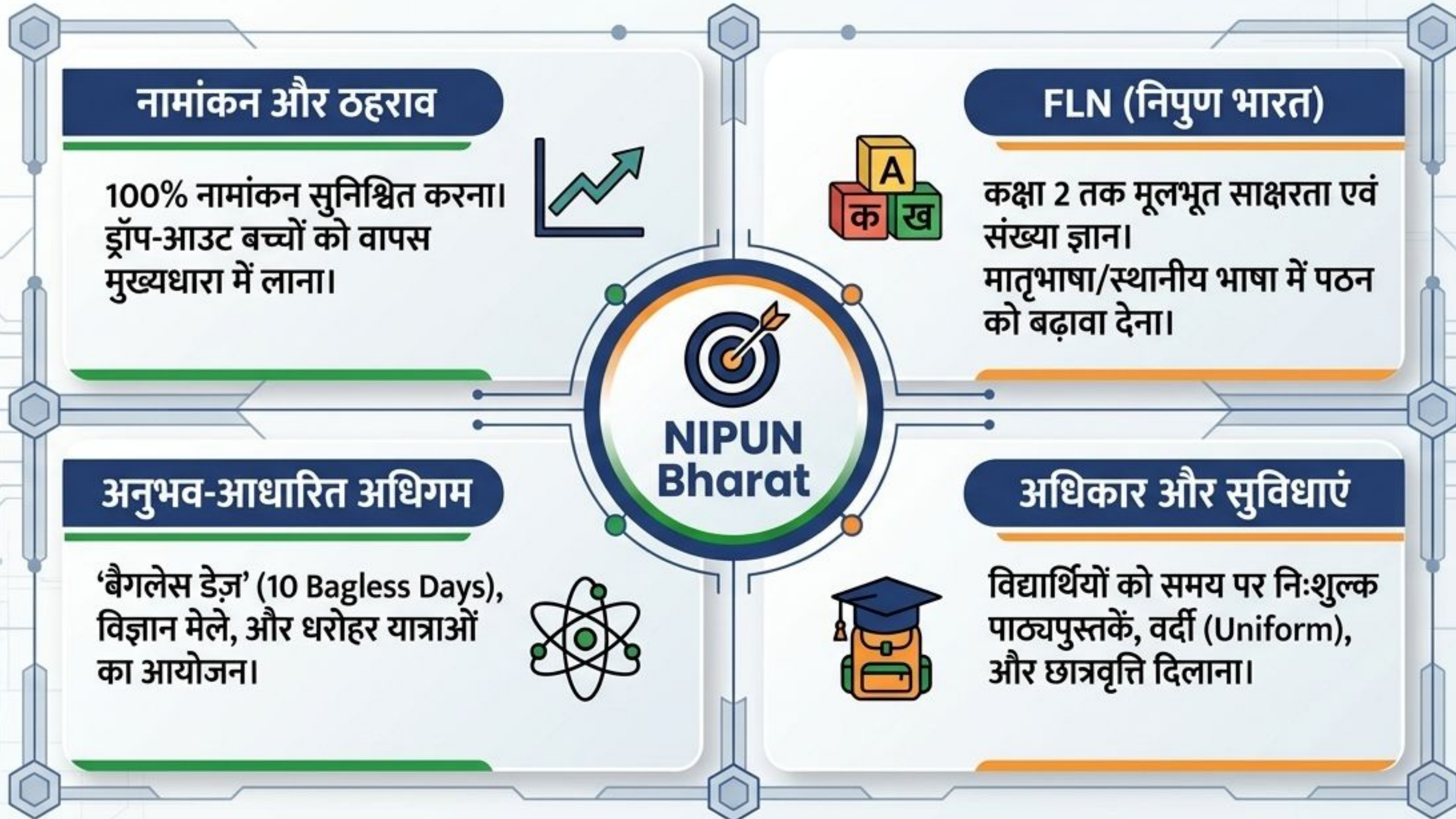
निर्माण, नवीनीकरण, रखरखाव और
बाल-अनुकूल संरचना की निगरानी।



शैक्षणिक समिति
(Academic Committee)

शिक्षण गुणवत्ता, डेटा संग्रहण
(UDISE+), शिक्षक-विद्यार्थी
उपस्थिति और समग्र मूल्यांकन।

प्रमुख दायित्व - स्तंभ 1: शैक्षणिक और FLN समर्थन



प्रमुख दायित्व - स्तंभ 2: बाल कल्याण एवं पोषण



प्रमुख दायित्व - स्तंभ 3: अवसंरचना एवं पर्यावरण



हरित पहल (Mission LiFE):

पोषण वाटिका (Kitchen Gardens) की स्थापना। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान और कचरा प्रबंधन (Waste Segregation)।



आपदा प्रबंधन:

स्कूल सुरक्षा योजना और वर्ष में दो बार 'इवैक्यूएशन ड्रिल' (Evacuation Drill)।



BaLA (Building as Learning Aid):

स्कूल की दीवारों और फर्श का शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग।



बुनियादी सुविधाएं:

सुरक्षित पेयजल, रैंप, और बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग स्वच्छ शौचालय।

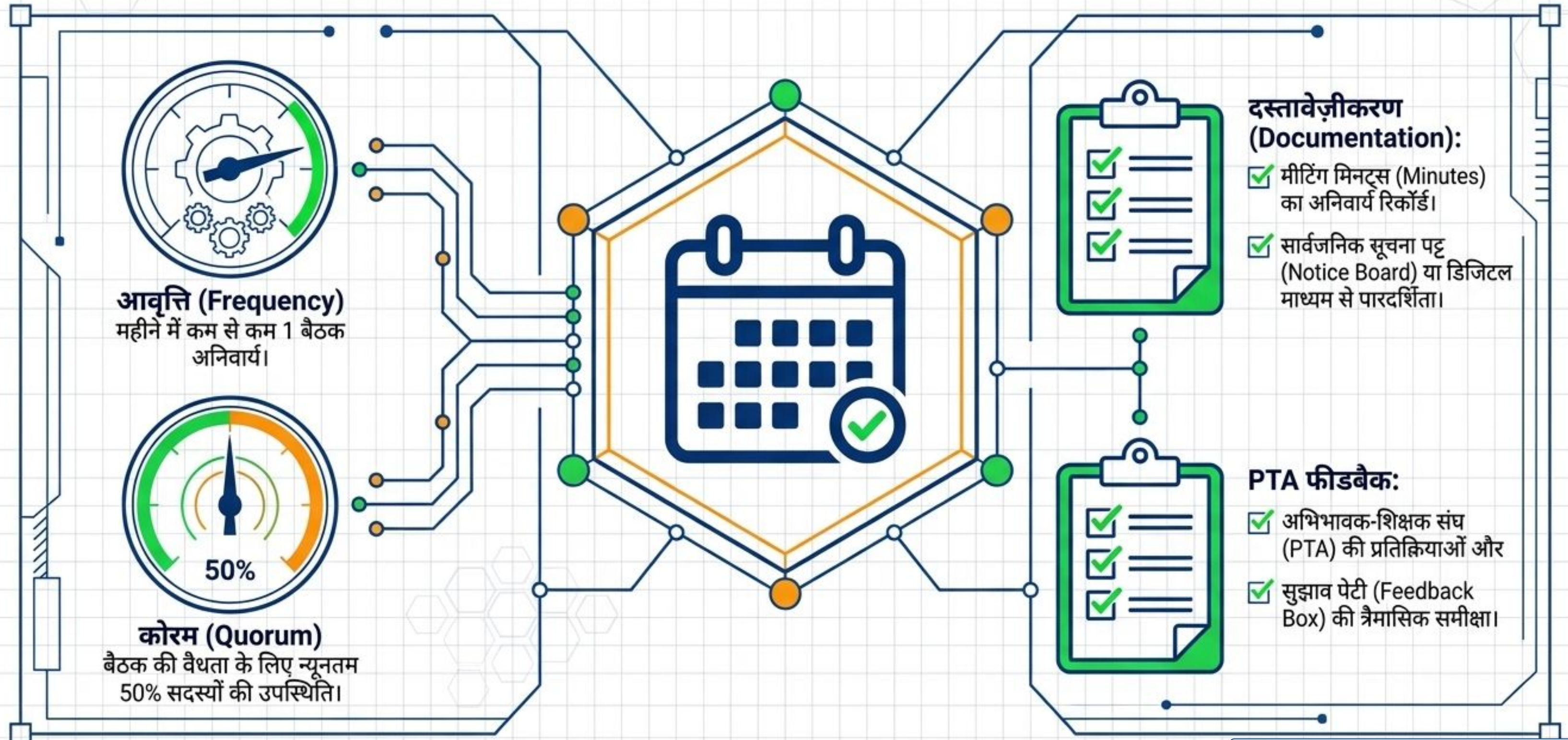


विद्यालय विकास योजना (SDP): भविष्य का रोडमैप

3 वर्षीय रणनीतिक योजना, जिसे 3 वार्षिक उप-योजनाओं (Annual Sub-Plans) में बांटा गया है।



बैठकें और संचालन: SMC का इंजन



वित्तीय प्रबंधन: पारदर्शिता और नियम

संयुक्त बैंक खाता (Joint Bank Account) - अध्यक्ष और सदस्य सचिव के नाम से

₹30 लाख तक की लागत
(Under ₹30 Lakh)

SMC स्वयं निष्पादित करेगी। समुदाय की भागीदारी और क्रय में पूर्ण पारदर्शिता।

₹30 लाख से अधिक की लागत
(Over ₹30 Lakh)

CPWD या PWD के मैनुअल/निविदा (Tender) प्रक्रिया द्वारा निष्पादन। SMC केवल गुणवत्ता और समयबद्धता की निगरानी करेगी।



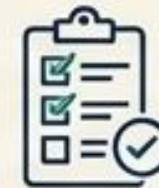
कैश बुक, एसेट रजिस्टर का संधारण और वार्षिक ऑडिट अनिवार्य।

सामाजिक लेखा परीक्षण (Social Audit): जन-निगरानी

सामुदायिक निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना।



Rule: प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक बार अनिवार्य।



Process: समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन की खुली जांच। SMC सदस्य ग्राम सभा और जन-सुनवाई में सक्रिय भाग लेंगे।



Outcome: ऑडिट में पाई गई कमियों/आपत्तियों पर विद्यालय स्तर पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना। पारदर्शिता और फंड के सही उपयोग की गारंटी।

ग्राम सभा और जन-निगरानी

अभिसरण (Convergence): सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र



क्षमता निर्माण: SMC का सशक्तिकरण

पीयर लर्निंग (Peer Learning):
अनुभवी सदस्यों द्वारा नए सदस्यों
का मार्गदर्शन (Mentoring)।



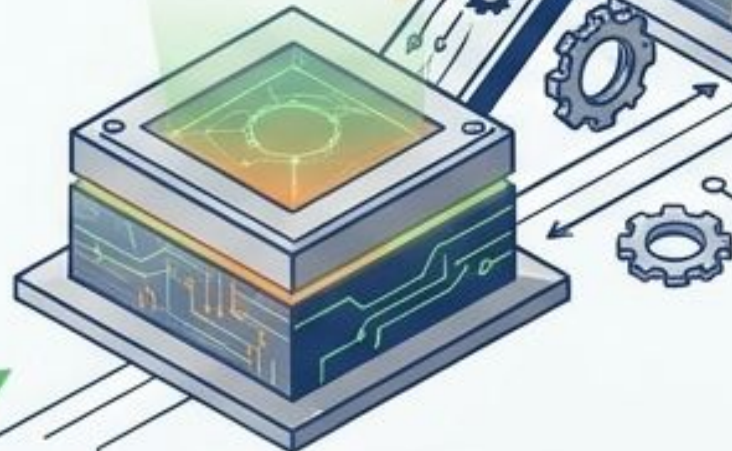
डिजिटल सशक्तिकरण (Digital Platforms):
NISHTHA & DIKSHA - ऑनलाइन
मॉड्यूल्स और डिजिटल साक्षरता।
ULLAS - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत
स्वयंसेवकों का जुड़ाव।



विषय-वस्तु (Core Topics):
SDP निर्माण, वित्तीय प्रबंधन, NIPUN
लक्ष्य, बाल सुरक्षा और समावेशी शिक्षा।



प्रारंभिक प्रशिक्षण (Orientation):
SMC गठन के 1 महीने के भीतर
अनिवार्य भौतिक (Physical) प्रशिक्षण।





विद्यालय: समुदाय की साझा संपत्ति



विद्यांजलि (Vidyanjali):

सेवानिवृत्त पेशेवर, पूर्व विद्यार्थी और स्थानीय नागरिक पोर्टल के माध्यम से स्वेच्छा से अपना समय और संसाधन दे सकते हैं।

SMC केवल एक प्रशासनिक समिति नहीं है, यह सार्वजनिक शिक्षा की संरक्षक (Custodian) है।



समुदाय के साझा स्वामित्व से ही हमारे विद्यालय समावेशी, सुरक्षित और 'राष्ट्र-निर्माण' के सशक्त केंद्र बनेंगे।
(NEP 2020 का संकल्प)

